



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in

(0771) 2513100

Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो./संघ/स्था./2021/ 6282


नवा रायपुर, दिनांक 23/06/2021

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर एवं वृत्त/ जिला जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन से सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 16.07.2021 सायं 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक / व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या	कार्यक्षेत्र
1	सहायक वन संरक्षक	12	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा अधीनस्थ कार्यालय (समस्त छत्तीसगढ़)
2	वनक्षेत्रपाल	09	

1. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आरक्षण संबंधी रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा।
2. उक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति से संबंधित जानकारियां कार्यालय के वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर प्रदर्शित की जायेगी। पृथक से पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी।


प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष क्रमांक - 0771-2513100

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; Website: www.cgmfpfed.org


सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल के संविदा पद पर भर्ती हेतु अन्य
उपबन्ध व शर्तें:-

1. आवेदन पत्र संघ के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियाँ सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक एवं सही भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर यदि अन्य कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो नियोक्ता को आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त करने संबंधी आवश्यक सम्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा।
3. मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसे नियुक्त होने वाले अधिकारी को उपस्थिति के दिनांक से 07 दिवस के भीतर जमा करना होगा।
4. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का सेवानिवृत्ति वर्ष से पूर्व के 3 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है। सेवानिवृत्ति के वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन इसमें सम्मिलित नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई अधिकारी माह जनवरी 2018 में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनका वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, एवं वर्ष 2016-17 के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
5. मूल्यांकन के लिए निम्नानुसार अंक निर्धारित रहेंगे - बहुत अच्छा 'क' -8 / उत्कृष्ट 'क+' -10। गोपनीय प्रतिवेदन में स्वीकृतकर्ता अधिकारी से मतांकन अनिवार्य होगा।
6. अगर बिन्दु 5 अनुसार एक वर्ग में कोई दो या अधिक अधिकारी समान अंक पाते हैं, तब जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पहले होगी, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
7. संघ के संविदा नियमानुसार सेवानिवृत्त सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी सेवानिवृत्ति पूर्व पदस्थ वृत्त कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें:-

- क) विभागीय जांच कदाचार पर
- ख) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर
- ग) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर
- घ) दोष सिद्ध होने पर
- ङ) सेवा के लिये अन्य सामान्य अनर्हतायें।

क्रमशः 2

8. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस / पेन कार्ड, पासपोर्ट, किसी संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र आदि में से कोई एक) की छायाप्रति स्वयं के द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2021 को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की मार्कशीट अथवा सेवानिवृत्ति आदेश स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
12. आवेदन पत्र केवल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2021 की सायं 5.00 बजे तक कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा स्वयं द्वारा कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर जमा की जा सकती है। लेकिन निर्धारित तिथि व समय के उपरांत इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या के संबंध में निर्णय का अधिकार नियुक्तकर्त्ता अधिकारी का होगा। आरक्षण संबंधी रोस्टर अनुसार वर्गवार पदों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा।
14. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
15. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अमान्य किये गये आवेदन पत्रों के संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
16. चयन हेतु आवेदक की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को होगा।
17. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बिना कोई कारण बताए सभी पदों को भरने अथवा भरे जाने वाले पदों की संख्या में परिवर्तन करने अथवा किसी भी पद को निरस्त करने अथवा यहाँ तक कि भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।


प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर